जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
प्रधान कार्यालय : हरिदेव जोशी सर्किल के पास, जालोर –343001
दूरभाष नं. 02973–223407, बैंक हेल्पलाईनः 90798–06434
Website :- www.jalorebank.com / Email:-headoffice@jalorebank.com

क्रमांक / जानासबैंक / 3650 दिनांक **21.07.2025**

27 वीं वार्षिक आम सभा वर्ष 2024–2025

समस्त अंशधारकों के लिए वार्षिक आमसभा की सूचना

बैंक के समस्त माननीय अंशधारकों को वैद्यानिक सूचना दी जाती हैं कि बैंक की 27 वीं वार्षिक आम सभा (वर्ष 2024–25) दिनांक 10.08.2025, रविवार को प्रातः11(ग्यारह) बजे, स्थान : वतन रिसोर्ट, जालोर रोड़, बिशनगढ़, जिला जालोर, पर आयोजित की जा रही हैं। इस वार्षिक आम सभा में आप बैंक के समस्त अंशधारी सदस्यगण सादर आमन्त्रित हैं।

* आम सभा में विचारणीय विषय *

(1) दिनांक 13.07.2024 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा एवं दिनांक 19.01.2025 को आयोजित विशेष आम सभा की बैठक कार्यवाही की पुष्टि करना।

(2) अध्यक्षीय प्रतिवेदन का पठन एवं अनुमोदन।

(3) बैंक के दिनांक 31.03.2025 के अंकेक्षित बेलेन्स शीट, लाभ–हानि खाता, अंकेक्षण रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के 'अ' भाग में उल्लेखित आक्षेपो की अनुपालना रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन।

(4) वर्ष 2024–25 के शुद्ध लाभ के निस्तारण पर विचार एवं अनुमोदन।

(5) वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट के प्रावधानों के विरूद्व अधिक व्यय का अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु बजट का अनुमोदन करना।

(6) **विशेष प्रस्ताव** :– बैंक के कार्यक्षैत्र का विस्तार गुजरात राज्य में भी करने तथा बैंक का पंजीकरण The Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 के अन्तर्गत करवाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन (Approval)।

(7) **विशेष प्रस्ताव** :– बैंक के उपनियम खण्ड 14(2)(i) के प्रावधान अनुसार सदस्यता हेतु बैंक की न्यूनतम सेवाओं का उपयोग नहीं करने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में निर्णय।

(8) संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को किए गए बोनस / एक्सग्रेसिया इत्यादि के भुगतान का अनुमोदन।

(9) वर्ष 2025–26 के लिए संचालक मण्डल द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु स्वीकृत स्ट्रेन्थ की पुष्टि करना।

(10) अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।

संचालक मण्डल की आज्ञा से
(परमानन्द भट्ट)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आवश्यक टिप्पणी

01. निर्धारित समय पर न्यूनतम गणपूर्ति नहीं होने पर साधारण आम सभा स्थगित कर दी जाएगी एवं पुनः एक घण्टे पश्चात् उसी स्थान पर साधारण सभा प्रारम्भ कर दी जाएगी। विषय सूची अपरिवर्तित रहेगी। स्थगन पश्चात् आहूत बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं हैं। **02.** सदस्यगणों से आग्रह है कि अपना मूल परिचय पत्र (मान्य दस्तावेज) आवश्यक रूप से साथ में लावे। **03.** बैंक के अंकेक्षित वित्तीय विवरण संतुलन चित्र, लाभ हानि खाता एवम् ऑडिटर रिपोर्ट बैंक की Website :- www.jalorebank.com पर उपलब्ध है। **04.** आम सभा में विचारणीय विषय 6 व 7 विशेष प्रस्ताव के तौर पर पारित किया जाना हैं। इस प्रस्ताव हेतु सभी सदस्यों के अनुमोदन (Approval) के लिए अलग से सूचना दिनांक 24 जुलाई 2025 को समाचार पत्र, "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित की गई है। आगामी आम सभा में प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के तौर पर नियमानुसार आवश्यक दिशानिर्देश अनुसार पारित करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **05.**यदि कोई सदस्य एजेण्डा विषय में समाहित आवश्यक सूचना अथवा रिकार्ड की जानकारी प्राप्त करना चाहे तो बैंक प्रधान कार्यालय में दिनांक 08.08.2025 तक कार्यालय समय में पधार कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय : हरिदेव जोशी सर्किल के पास, जालोर –343001
दूरभाष नं. 02973–223407, बैंक हेल्पलाईनः 90798–06434
Website :- www.jalorebank.com / Email:-headoffice@jalorebank.com

क्रमांक / जानासबैक / 3652 **दिनांक 21.07.2025**

विशेष सूचना

बैंक के समस्त अंशधारी सदस्यों को सूचित किया जाता हैं कि बैंक की आम सभा दिनांक 10.08.2025, रविवार को प्रातः11(ग्यारह) बजे, स्थान : वतन रिसोर्ट, जालोर रोड़, बिशनगढ़, जिला जालोर, पर आयोजित की जा रही है।

जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावो को **"विशेष प्रस्ताव"** के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हैं :–

A. बैंक के कार्यक्षैत्र का विस्तार गुजरात राज्य मे भी करने तथा बैंक का पंजीकरण The Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 में करवाया जाना प्रस्तावित हैं। इस क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक, रजिस्ट्रार सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार तथा रजिस्ट्रार सहकारी विभाग, गुजरात सरकार से अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जाना हैं।

विशेष प्रस्ताव :– बैंक के कार्यक्षैत्र का विस्तार गुजरात राज्य में भी करने तथा बैंक का पंजीकरण The Multi-State Cooperative Societies Act में करवाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन (Approval)।

B. बैंक उपनियम खण्ड़ 14(2)(i) के प्रावधान तथा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार सदस्यता हेतु बैंक की न्यूनतम सेवा का उपयोग किया जाना अनिवार्य हैं। जिस सम्बन्ध में उपनियम में निम्न प्रावधान हैं :–

14(2)(i) Mebership will cease :
"On failing to comply with the provisions of the bye-laws, if any, regarding minimum utilization of the services of the Bank."

संचालक मण्ड़ल द्वारा बैंक उपनियम प्रावधान तथा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16(2) की पालना में सदस्यता जारी रखने तथा नवीन सदस्यता ग्रहण करने हेतु निम्न अनुसार न्यूनतम सेवा के उपयोग की अनिवार्यता का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया :–

बैंक की सदस्यता हेतु बैंक में बचत/चालू खाताधारक अथवा लॉकर धारक अथवा बैंक से ऋणधारक होना अनिवार्य रहेगा।

बैंक की उक्त निर्धारित सेवा का उपयोग नहीं करने पर नियमानुसार सदस्य की सदस्यता समाप्त किये जाने की कार्यवाही संचालक मण्ड़ल द्वारा की जायेगी।

उपरोक्त प्रस्तावों को **"विशेष प्रस्ताव"** के तौर पर प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में आप सभी सदस्यों के अनुमोदनार्थ (Approval) यह सूचना प्रकाशित की जा रही हैं। अनुमोदना विषयार्थ यदि कोई भी सदस्य कारण सहित अपनी असहमति प्रकट करना चाहे तो अपना नाम व सदस्य संख्या अंकित करते हुए बैंक के प्रधान कार्यालय में दिनांक 08.08.2025, सांय 4:00 बजे तक अथवा आमसभा बैठक दिनांक 10.08.2025 में अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उक्त दोनो विशेष प्रस्तावो में आपका अनुमोदन (Approval) मान लिया जायेगा।

संचालक मण्डल की आज्ञा से
(परमानन्द भट्ट)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी